जब बात श्वास से जुड़ी हर समस्या की हो,
लंग+ प्लस क्लिनिक है आपके साथ।
क्या आप इनमें से किसी भी समस्या से परेशान हैं ?
● अत्यधिक खांसी आना ● सांस फूलना या सांस में सीटी बजाना (अस्थमा)
● एलर्जी की शिकायत (अत्यधिक छींक आना)
● पुराने टी.बी. से खराब फेफड़े का रोग (TOPD)
● नींद बार-बार खुलना (Sleep Apnea)
● अत्यधिक कफ एवं खांसी में खून आना (T.B. or Cancer)
● खर्राटे आना एवं सोते समय सांस रुकना ● छाती में दर्द रहना

सही जांच, बचाव का पहला कदम :-
फेफड़ों की जांच :-
● Impulse Oscillometry (IOS)
● FOT (Forced Oscillation Technique)
● PFT (Pulmonary Function Test)
● FeNO Test (Fractional exhaled Nitric Oxide)
एलर्जी की जांच :-
● Allergy Test ● IgE Test
● Food Allergy Test
● Skin Prick Test
● CRD Molecular Test
Bronchoscopy and Thoracoscopy की सुविधा उपलब्ध
भर्ती की सुविधा उपलब्ध है रिम्स हॉस्पिटल मुढ़ैला, चांदपुर रोड, वाराणसी (कृषि भवन के सामने)

लंग+ प्लस क्लिनिक
Superspeciality Chest & Allergy Clinic
डॉ. विकास जायसवाल
DNB (Respiratory Medicine), DTCD, MBBS
Chest Physician and Critical Care Expert
पूर्वांचल के पहले – IOS सिस्टम लाने वाले
मोपलिजुमैब एंटीबॉडी थेरेपी देने वाले (अस्थमा में) चेस्ट फिज़ीशियन

मुढ़ैला, चांदपुर रोड, वाराणसी (कृषि भवन के सामने) Helpline Number :- 7307272241, 9120029776 www.drvikasjaiswal.com

तीन दिन की हड़ताल पर रहेंगे कर्मी, रविवार को खुलेंगे बैंक

28 सितंबर से हो रही हड़ताल के असर को कम करने की कवायद

जासं, वाराणसी : यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के आह्वान पर बैंककर्मी विभिन्न मांगों को लेकर 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल के दौरान बैंकिंग सेवाओं पर असर कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 27 सितंबर, रविवार को खुले रहेंगे।

गुरुवार शाम को बैंकों की ओर से रविवार को शाखाएं खोलने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए। इसके बाद ग्राहकों के मोबाइल पर भी 27 सितंबर को बैंक खुलने की सूचना के संदेश पहुंचने लगे। वहीं, साप्ताहिक अवकाश और हड़ताल को देखते हुए बैंकों ने ग्राहकों से जरूरी बैंकिंग कार्य पहले ही निपटाने की अपील की है।

एसबीआइ की मुख्य शाखा के सामने प्रदर्शन करते बैंक कर्मचारी ● स्रोत एसो

हड़ताल के समर्थन में बैंककर्मियों ने किया प्रदर्शन

वाराणसी : तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में गुरुवार की शाम को वाराणसी माड्यूल में यूएफबीयू के बैनर तले कचहरी स्थित एसबीआइ की मुख्य शाखा के सामने बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने और प्राफिट लिंक्ड इंसेंटिव में भेदभाव समाप्त कर द्विपक्षीय समझौते के अनुरूप समान नीति लागू करने की मांग उठाई। वक्ताओं ने कहा कि मांगों को लेकर यूएफबीयू की ओर से भारतीय बैंक संघ (आइबीए), श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय (डीएफएस) और बैंक प्रबंधन के साथ लगातार वार्ता हुई।

कबीर चौरा में 500 बेड के अस्पताल में निर्माण में तेजी लाने के निर्देश

वाराणसी : सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रितु महेश्वरी ने गुरुवार को शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय जिला अस्पताल, कबीर चौरा का निरीक्षण किया। कई व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। अस्पताल में नवीन 500 बेड के अस्पताल के निर्माण के लिए वर्तमान पुराने अस्पताल भवन को परिसर स्थित एमसीएच विंग में शिफ्ट किया जाना है।

शिफ्टिंग प्लान अभी अंतिम रूप से तय नहीं होने पर एसआईसी, जिला महिला अस्पताल को सीएमएस और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को 15 दिवस के भीतर कार्ययोजना को अंतिम रूप से तैयार करने को कहा। इसके बाद पुराने भवन को ध्वस्त कर नवीन अस्पताल का निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया। सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के निरीक्षण के दौरान एसआईसी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी समेत अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

महिला होमगार्ड ने रस्सी से फंदा लगाकर दी जान, दो लोग गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, वाराणसी : चितईपुर थाना क्षेत्र के नेवादा स्थित हनुमत कृपा अपार्टमेंट के प्रथम तल पर रहने वाली 35 वर्षीय महिला होमगार्ड अनुराधा तिवारी ने बुधवार की देर रात कमरे में रस्सी से फंदा लगाकर जान दे दी। मृतका के बेटे ने मां को फंदे पर लटकता देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। वहीं, फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य इकट्ठा किया। पुलिस ने गुरुवार को मामले में मृतका की सास की तहरीर पर केस दर्ज कर एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

जानकारी के अनुसार अनुराधा के पति की तीन साल पहले मौत हो गई थी। इसके बाद अनुराधा को होमगार्ड की नौकरी मिली थी। पिछले महीने अनुराधा की ड्यूटी चितईपुर थाने में लगी थी। बुधवार को ड्यूटी से घर आने के बाद रात में वह अपने कमरे में चली गई थी। सास का कहना है कि पति की मौत के बाद अनुराधा बांदा निवासी अजय पांडेय नामक फार्मासिस्ट के संपर्क में आई थी। अजय की दवा कंपनी भी है। एक वर्ष पहले अजय के आफिस में काम करने के लिए अंजली नामक युवती आई, जिसके बाद अजय उसके करीब हो गया। आरोप है कि अजय ने अनुराधा के रुपये हड़प लिए थे। यह रकम कितनी थी, मालूम नहीं हो सका है। सास के अनुसार अजय पांडेय और अंजली ने उनकी बहू को आत्महत्या के लिए मजबूर किया है।

अनुराधा तिवारी ● स्वजन

चितईपुर थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश गौतम ने बताया कि दोनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अजय यहां सारनाथ में रहता है। उसकी साथी अंजली बोकारो झारखंड की रहने वाली है। अजय की दवा कंपनी में अंजली एक वर्ष से काम करती है। जांच के दौरान पता चला कि महिला होमगार्ड अनुराधा तिवारी ने आरोपित अजय पांडेय के लिए कई लाख का लोन भी लिया था जिसका किश्त आरोपित ही भरता था। लेकिन कई महीने से वह किश्त भी नहीं भर रहा था। इसको लेकर भी झगड़ा हो चुका था। एसीपी गौरव कुमार ने बताया कि जांच की जा रही है।

10 करोड़ 80 लाख की जमा कराई अफीम

जासं, वाराणसी : जैतपुरा थाने में वर्ष 2012 में दर्ज मुकदमे में जब्त की गई 558 किलो अफीम दस साल से अधिक समय बाद निस्तारित कराई गई। इसकी कीमत 10 करोड़ 80 लाख रुपये बताई गई। टीम जब्त अफीम लेकर गाजीपुर स्थित केंद्रीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना पहुंची, जहां नियमानुसार उसका निस्तारण कराया गया।

InstaRoof गर्मियों में ठंडक, बारिश में दृढ़ता, जाड़े में गर्माहट। RINAC
InstaRoof रूफिंग पैनल

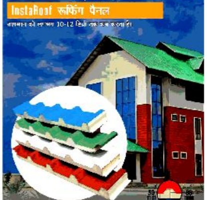

2625 वीं महावीर त्रयोदशी (भगवान महावीर जन्म कल्याणक) की हार्दिक बधाई और शुभकामनायें।
जैन एजेंसीज
17 ए नील कॉटेज, मलदहिया, वाराणसी - 221002
9336902686 8840461145 9648088882
jainagencies3@gmail.com

अंजुमन हैदरी ने निकाला कदीमी जुलूस

जासं, वाराणसी : अंजुमन हैदरी, चौक के तत्वावधान में गुरुवार को 114 साल पुराना कदीमी अलम का जुलूस निकाला गया। काली महल स्थित शिया मस्जिद से शुरू होकर जुलूस नईसड़क, दालमंडी, चौक, मैदागिन, विश्वेश्वरगंज और मच्छोदरी से होते हुए जामिया इमानिया मुकीमगंज पहुंचा। समापन तेलियानाला स्थित करारा हाउस पर मजलिस से हुआ।

मौलवी एलिया अजहर ने कहा कि जहां भी जुल्म हो, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। वहीं जामिया इमानिया में मौलाना सैय्यद आलिम मेहदी ने कहा कि 114 सालों से यह जुलूस निकाला जा रहा है।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़
आवश्यक सूचना

मो. आजाद पुत्र स्व. मो. जमील, ग्राम मितूपुर, थाना पवई, जनपद आजमगढ़ द्वारा निर्माण स्थल- मित्तूपुर पर अपनी प्रस्तावित आतिशबाजी की बिक्री एवं शाप निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक रहित को प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार निर्माण स्थल- मित्तूपुर पर प्रस्तावित आतिशबाजी की बिक्री एवं शाप निर्माण हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक रहित के स्वीकृति पर विचार करने से पूर्व विस्फोटक नियम-2008 के प्राविधान के क्रम में जन सामान्य से एक माह के लिए आपत्ति/सुझाव लिखित रूप से आमंत्रित किया जाता है। उक्त निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) आजमगढ़
पत्रांक: 2270 दिनांक-18.08.2026

उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक Uttar Pradesh Gramin Bank
Head Office: Uttar Pradesh Gramin Bank, 2nd and 3rd Floor, NBCC Commercial Complex, Vardan Khand, Gomti Nagar Extension, Lucknow-226010 | Email: ho@barodauprrb.co.in
क्षेत्रीय कार्यालय, जे 12/140 डी 1, गुलाबबाड़ी, चौकाघाट, जिला-वाराणसी पिन कोड – 221001
सार्वजनिक नीलामी 21.10.2026

अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों को प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) (सरफेसी अधिनियम, 2002) साथ में पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 6 (2) और / या नियम 8(6) के अधीन नीलामी सूचना

जैसाकि, उक्त कथित सरफेसी अधिनियम, 2020 की धारा 13 (2) के अधीन और कथित अधिनियम की धारा 13 (2) में पठित नियम 3 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक मांग सूचना जारी की जिसमें तथा कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओं) बंधककर्ता (ओं) को कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर कथित सूचना के अनुसार राशि का भुगतान करने को कहा गया और जैसाकि कर्जदार (रों) / गारंटीदाता (ओं) / बंधकदाता (ओं) ने राशि का भुगतान नहीं किया और अतः अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13 (4) साथ में पठित नियमों के नियम 4 और / या नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पत्ति / संपत्तियों (इसके बाद कथित सम्पत्तियों नाम से निर्दिष्ट का कब्जा ले लिया है जैसा कि अधोहस्ताक्षरी, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) (ए) के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में कथित सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बैंकों के बकायों की वसूली का प्रस्ताव रखते हैं। एतद् द्वारा जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओं) बंधककर्ता (ओं) को सूचना दी जाती है कि निम्नवर्णित अचल समपत्ति जो प्रतिभूत लेनदारों के पास बंधक प्रभारित पड़ी है, जिसका सांकेतिक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, प्रतिभूत लेनदार द्वारा ले लिया गया है, जिसे निम्नांकित बकायों की वसूली हेतु निम्नांकित सारणी में अंकितानुसार तिथि को "जैसा है जहां है, जैसा है जो है" और "जो है वही है" आधार पर बेचा जाएगा। जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) को एतद्द्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग संपत्ति जिसका विवरण नीचे वर्णित है, विशेष रूप से उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे इस संपत्ति में किसी भी प्रकार का लेन्देन न करें। प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियों के लिए खुली बोली आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों/बोलीदाताओं को दिनांक 21.10.2026 उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय जे 12/140 डी 1, गुलाबबाड़ी, चौकाघाट, जिला – वाराणसी पिन कोड – 221001 में मुहरबन्द लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को पूरा करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

ऋणी का नाम	सम्पत्ति का विवरण/ मालिक/बंधककर्ता का नाम	मांग सूचना तिथि/ अधिग्रहण तिथि/ अधिग्रहण प्रकार	बकाया धनराशि (रु0)	आरक्षित मूल्य (रु0) / धरोहर राशि (रु0)
शाखा: गोदौलिया, खाता नं0: 616525010000107				
उधारकर्ता: मेसर्स शीतल साड़ी सेंटर प्रोप. शीतल प्रसाद, पता: ए 40/3 ए, सरायहट, शैलपुत्री, तहसील सदर, जिला वाराणसी 221101 गारंटर: (1) गीता देवी पत्नी विक्रम, (2) विक्रम पुत्र सीताराम, सभी निवासी: जे 35/735, अलईपुरा, जिला वाराणसी	बंधककर्ता का नाम: गीता देवी पत्नी विक्रम सोनकर, मकान नं.– जे 35/60–एल–2, मौजा– अलईपुरा, वार्ड– जैतपुरा, परगना– देहात अमानत, तहसील व जिला– वाराणसी, विक्रय विलेख नं.– 2437, दिनांक 26.12.1995, स्थित एस.एम. प्लॉट नं.– 739, मौजा– अलईपुरा, वार्ड– जैतपुरा, परगना– देहात अमानत, तहसील व जिला– वाराणसी	12.12.2022 27.06.2024 सांकेतिक कब्जा	Rs. 4,00,000.00 + दिनांक 24.11.2022 से अनुपयुक्त ब्याज और 50,800 और अन्य खर्च	Rs. 8,10,000/- Rs. 81,000/-
चौहद्दी विलेख के अनुसार (क्षेत्रफल– 340 वर्ग फीट)– पूर्व– नारायण दास की भूमि, पश्चिम– 3' चौड़ा कच्चा गली उसके बाद विस्सू की भूमि, उत्तर– लाल जी की भूमि, दक्षिण– किरण देवी की भूमि चौहद्दी साइट के अनुसार (क्षेत्रफल– 303 वर्ग फीट)– पूर्व– साह की भूमि, पश्चिम– 3' चौड़ा पत्थर गली उसके बाद रुज्जन और बबलू का मकान, उत्तर– लाल जी की मकान, दक्षिण– गुलाब सेठ का मकान				
शाखा: गोदौलिया, खाता नं0: 616526530000033				
उधारकर्ता: (1) प्रीति देवी पत्नी बनारसी लाल जायसवाल, (2) आशुतोष जायसवाल पुत्र बनारसी लाल जायसवाल, सभी निवासी: प्लॉट नं. 17, गजब नगर, दनियालपुर, सोना तालाब, वाराणसी – 221007 गारंटर: (1) सुनीता गुप्ता पत्नी अजय गुप्ता, पता: एस 9/139 सी–1–एस, नई बस्ती, पांडेपुर, वाराणसी 221002, (2) शशि गुप्ता पत्नी अनिल कुमार गुप्ता, पता: के 19/77, काशी विद्यापीठ, गेट नं. 2, वाराणसी – 221007	बंधककर्ता का नाम: प्रीति देवी पत्नी बनारसी लाल जायसवाल, अराजी नं.– 17, मौजा– दनियालपुर, परगना– शिवपुर, वार्ड– सारनाथ, तहसील व जिला– वाराणसी, विक्रय विलेख नं.– 370, दिनांक 27.01.2006, स्थित अराजी नं.– 17, मौजा– दनियालपुर, परगना– शिवपुर, वार्ड– सारनाथ, तहसील व जिला– वाराणसी चौहद्दी विलेख के अनुसार (क्षेत्रफल– 668 वर्ग फीट)– पूर्व– बृजलाल की भूमि, पश्चिम– 4' चौड़ा गली, उत्तर– आज प्रेस का बाग, दक्षिण– मुकेश कुमार की भूमि	05.09.2024 04.12.2025 सांकेतिक कब्जा	Rs. 6,56,421.78 + दिनांक 01.09.2025 से अनुपयुक्त ब्याज और 50,800 और अन्य खर्च	Rs. 22,98,000/- Rs. 2,29,800/-
चौहद्दी साइट के अनुसार (क्षेत्रफल– 672.75 वर्ग फीट)– पूर्व– राजेश पांडे व प्रताप शंकर का मकान, पश्चिम– 6' चौड़ा रोड, उत्तर– आज प्रेस की भूमि, दक्षिण– कीर्ति उपाध्याय का मकान				
शाखा: गोदौलिया, खाता नं0: 616526530000021, 84070600000313 और 84070500000004				
उधारकर्ता: (1) जरीना बेगम पत्नी शहजादे खान, (2) बसीम पुत्र दादू खान उर्फ शहजादे, (3) खुर्शीद पुत्र दादू खान उर्फ शहजादे, (4) बेगम पारा पुत्री दादू खान उर्फ शहजादे, सभी निवासी: सी 19/4 ए 1 का मोहल्ला हबीबपुरा, लल्लापुरा, वाराणसी – 221001 गारंटर: (1) तसलीमा पत्नी अब्दुल वाहिद, पता: सी 19/18 एआर4, लल्लापुरा खुर्द, फातमान रोड, तहसील व जिला वाराणसी, (2) विक्की पांडे पुत्र शिव रतन पांडे, पता: डी 35/154, अगस्तकुंड, दशाश्वमेध पुलिस स्टेशन के पास, वाराणसी	बंधककर्ता का नाम: जरीना बेगम पत्नी शहजादे खान और बसीम पुत्र दादू खान उर्फ शहजादे और खुर्शीद पुत्र दादू खान उर्फ शहजादे और बेगम पारा पुत्री दादू खान उर्फ शहजाद, मकान नं.– सी 19/4–ए–1–के, मौज– हबीबपुरा, लल्लापुरा, तहसील व जिला– वाराणसी, विक्रय विलेख नं.– 16432, दिनांक 22.04.1988, स्थित मकान नं.– सी 19/4–ए–1–के, मौज– हबीबपुरा, लल्लापुरा, तहसील व जिला– वाराणसी चौहद्दी विलेख के अनुसार (क्षेत्रफल– 216 वर्ग फीट)– पूर्व– गली उसके बाद मुस्लिम स्कूल, पश्चिम– गली उसके बाद	09.12.2024 11.04.2026 सांकेतिक कब्जा	Rs. 10,07,640.74 + दिनांक 01.12.2024 से अनुपयुक्त ब्याज और 50,800 और अन्य खर्च	Rs. 14,80,000/- Rs. 1,48,000/-
इंद्र बाबू पामा सोप कंपनी का मकान, उत्तर– गली उसके बाद खुली भूमि, दक्षिण– अराजी का भाग और विक्रेता का मकान चौहद्दी साइट के अनुसार (क्षेत्रफल– 216 वर्ग फीट)– पूर्व– 10' चौड़ा पत्थर स्लैब रोड, पश्चिम– गली उसके बाद इंद्र बाबू पामा सोप कंपनी का मकान, उत्तर– 10' चौड़ा पत्थर स्लैब रोड उसके बाद जाहिर का मकान, दक्षिण– असलम का मकान				

ई–नीलामी की तिथि व समय – 21.10.2026, प्रातः 11:00 ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि – 20.10.2026, सायं 04:00 बजे तक

बिक्री के नियम एवं शर्तें:– 1. प्रस्तुत की जाने वाली बोली मूल्य आरक्षित मूल्य से अधिक होगी और नीलामी के दौरान बोलीदाताओं को अंतिम बोली राशि के ऊपर परस्पर बोली में उच्च बोली लगाने की अनुमति होगी। 2. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर संपत्ति की बिक्री नहीं की जाएगी। आरक्षित मूल्य के नीचे दी गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा। 3. इच्छुक बोलीदाताओं को मऊ में देय प्राधिकृत अधिकारी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बोली राशि/ आरक्षित मूल्य की 10% धरोहर राशि जमा करनी होगी। 4. सफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि आंशिक बिक्री प्रतिफल के रूप में रखी जाएगी और असफल बोलीदाता की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। ईएमडी जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। 5. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (पच्चीस प्रतिशत) जमा करना होगा, जमा की गई ईएमडी राशि को घटाकर, उसी दिन या अगले कार्य दिवस को जमा करनी होगी और शेष राशि का भुगतान नीलामी दिनांक से 15 दिनों के भीतर किया जाएगा तभी बिक्री की पुष्टि मानी जाएगी। 6. निर्धारित 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि जमा करने में विफल रहने की स्थिति में, सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि को बैंक द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और अधिकृत अधिकारी को संपत्ति की नई नीलामी बिक्री करने की स्वतंत्रता होगी और चूककर्ता बोलीदाता को जब्त राशि और संपत्ति पर कोई दावा नहीं होगा। 7. अगले कार्य दिवस पर बोली राशि का 25% (ईएमडी घटाकर) भुगतान में चूक करने पर बिना किसी सूचना के बिक्री को रद्द कर दिया जायेगा तथा सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान की गई ईएमडी और कोई अन्य धनराशि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जब्त कर ली जाएगी। 8. सफल बोलीदाता द्वारा बैंक को बिक्री प्रतिफल का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194–IA के तहत टीडीएस के अधीन होगा। 9. समस्त विक्रय प्रतिफल प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी नियमानुसार विक्रय प्रमाण पत्र जारी करेगा। खरीदार को बिक्री प्रमाण पत्र, पंजीकरण शुल्क, सरकार / किसी भी प्राधिकरण को देय सभी वैधानिक देय राशि, कर, जीएसटी और दरों और आउटगोइंग, संपत्तियों से संबंधित मौजूदा और भविष्य दोनों सहित स्टांप शुल्क वहन करना होगा। 10. बिक्री प्रमाण पत्र में बोली में उल्लिखित नामों के अलावा अन्य नामों को शामिल करने/ बदलने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। बिक्री प्रमाण पत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम पर ही जारी किया जाएगा। 11. बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने के खिलाफ डीआरटी / डीआरएटी / उच्च न्यायालय या किसी अन्य अदालत द्वारा पारित किसी भी स्थगन / निषेधाज्ञा / प्रतिबंध आदेश होने पर बिक्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इस अवधि के दौरान जमा की गई राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। 12. **यह निविदाकर्ताओं का उत्तरदायित्व है कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्तियों का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो ले, सम्पत्तियों के निरीक्षण हेतु संबंधित शाखा से पहले से समय लेकर किसी भी कार्य दिवस को दोपहर 02.00 बजे से 05.00 बजे तक सम्पर्क कर सकते है** 13. प्राधिकृत अधिकारी / बैंक के पास बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कोई कारण बताए अगले उच्चतम बोली लगाने वाले को बुलाए बिना किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित / रद्द करने / बिक्री के किसी भी नियम और शर्तों को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार है। 14. प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत लेनदार किसी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों / देयताओं (यदि कोई हो) के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे। बिड जमा करने के बाद किसी भी प्रकार की संपत्ति के बिक्री शुल्क / संपत्ति पर भार या किसी अन्य मामले आदि के संबंध में किसी भी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। 15. बिक्री सरफेसी अधिनियम 2002 में निर्धारित शर्तों / नियमों / प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और ऊपर उल्लिखित शर्तों के अधीन है। अधिक जानकारी के लिए कोई संभावित बोलीदाता अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकता है।

सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन 15 दिनों की बिक्री सूचना

कर्जदारों / गारंटीदाताओं / कानूनी वारिसों / बंधककर्ता (ओं) को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकाये का भुगतान करें, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बंधक सम्पत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिया जाएगा और अगर कोई अन्य बकाया शेष होगा तो उसे उचित ब्याज, प्रभारों एवं व्यय के साथ उनसे वसूल किया जाएगा।

दिनांक 25.09.2026 स्थान – वाराणसी प्राधिकृत अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda — विक्रय सूचना
क्षेत्रीय कार्यालय - प्रथम तल, बड़ौदा भवन, प्लाट नं0 24, इण्डस्ट्रियल इस्टेट, चाँदपुर, वाराणसी - 221106 (उ0प्र0)
अचल सम्पत्तियों के बिक्री के लिए सूचना
अनुर्गत-IV-A (नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के प्रावधान देखें

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम,2002 सपठित प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के प्रावधान के तहत ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतदद्वारा जनसाधारण एवं ऋणी / जमानतकर्ता को विशेष रूप से यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अचल सम्पत्ति/बंधक/प्रभार युक्त सांकेतिक सम्पत्ति को , जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जे में लिया गया है, को बैंक के बकाया वसूली के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा " जो है, जहॉं है", "जो है जैसे है" एवं "जो कुछ भी है" के आधार पर ई नीलामी /बिक्री की जायेगी। ऋणी/जमानतकर्ता / प्रतिभूति आस्ति/ देय/आरक्षित मूल्य/ ई-नीलामी की तिथि एवं समय, धरोहर राशि (ईएमडी) एवं बिड बढ़ोत्तरी राशि का विवरण निम्नलिखित हैः-

नीलामी की तिथि : 28.10.2026 समय दोपहर 02:00 से सायँ 06:00 बजे तक
सम्पत्ति निरिक्षण तिथि व समय : 26.10.2026 सुबह 10:00 से सायँ 05:00 बजे तक

धरोहर राशि (ई.एम.डी.) का भुगतान ऑनलाईन एनईएफटी (चालान निष्पादन के बाद) या यूपीआई (UPI) के द्वारा (https://baanknet.com) के द्वारा दिनांक 27.10.2026 तक या उससे पहले किया जायेगा।

क्र0 सं0	ऋणीकर्ता/प्रोपराईटर का नाम एवं पता और शाखा	अचल सम्पत्ति का विवरण	कुल बकाया	आरक्षित मूल्य / अग्रिम धनराशि / बिड बढोत्तरी धनराशि	कब्जा की स्थिति (सांकेतिक/ भौतिक)
1.	**ऋणकर्ताः मेसर्स के डी टेक्सटाइल्स** **प्रोपराईटरः कमालुद्दीन पुत्र हाजी इकबाल अहमद** पता- मकान नम्बर ए 39/46 आ का, अराजी नम्बर 161/2 व 170, सरैया मोहल्ला, मौजा- अमरपुर, वार्ड- आदमपुर, परगना- देहात अमानत, तहसील व जिला वाराणसी 221101 **शाखा- अर्दली बाजार, वाराणसी**	सभी भाग अचल सम्पत्ति भूमि एवं भवन जिसका मकान नम्बर ए 39/46-आ-का, जिसका अराजी नम्बर- 161/2 व 170 स्थित मोहल्ला- सरैया, मौजा- अमरपुर, वार्ड- आदमपुर, परगना- देहात अमानत, तहसील व जिला- वाराणसी जिसका क्षेत्रफल- 1624.50 वर्ग फीट यानि 150.97 वर्ग मीटर, जो कि श्री कमालुद्दीन के नाम में है। **चौहद्दी** - पूर्वः नसीम का मकान व डॉ0 गफ्फार की खाली जमीन, पश्चिमः डॉ0 ताजाम्मुल की वहदीवारी, उत्तरः कच्चा रास्ता 10 फीट चौड़ा, दक्षिणः कच्चा रास्ता 8 फीट चौड़ा	रू 87,02,413.00 + ब्याज दिनांक 30.04.2026 से एवं अन्य खर्च (मांग सूचना जारी होने के बाद अगर कोई भुगतान है, को घटाकर	रू 94,21,000.00 9,42,100.00 10,000.00	सांकेतिक कब्जा
2.	**ऋणकर्ताः श्री राजकुमार सिंह** **सह-ऋणकर्ता/ओं- 1. श्रीमती सुमन सिंह, 2. श्री धर्मेन्द्र सिंह** पता- सभी निवासी एस 1/32 18, जय नगर कालोनी, गिलट बाजार, वाराणसी- 221002 **शाखा- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शाखा, वाराणसी**	सम्पत्ति का सभी भाग जिसका मकान नम्बर एस- 21/116-एल-2, प्लाट क्षेत्रफल- 2367 वर्ग फीट अराजी नम्बर 292 पर स्थित, मौजा- कैन्टोन्मेन्ट, इंगलिशिया लाईन, वार्ड- सिकरौल, परगना- शिवपुर, तहसील व जिला- वाराणसी। **चौहद्दी** - पूर्वः सार्वजनिक गली, पश्चिमः राम नारायन व मदन लाल अरोरा का मकान, उत्तरः जमुना प्रसाद का मकान, दक्षिणः सरकारी सड़क (उपर बताई गई चौहद्दी 24.03.2004 के विक्रय विलेख के अनुसार है)	रू 1,57,98,932.77 + ब्याज दिनांक 30.10.2025 से एवं अन्य खर्च (मांग सूचना जारी होने के बाद अगर कोई भुगतान है, को घटाकर	रू 3,58,83,000.00 35,88,300.00 10,000.00	सांकेतिक कब्जा

बिक्री के नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक पर अवलोकन करें- www.bankofbaroda.in/e-auction.htm तथा https://baanknet.com तथा इच्छुक बोलीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी अर्दली बाजार मोबाइल नं0 : 9554959020, ईमेलः ordoba@bankofbaroda.bank.in, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शाखा मोबाइल नं0 : 9554959015, ईमेल Intvar@bankofbaroda.bank.in से सम्पर्क करें।

SCAN HERE

दिनांक : 25.09.2026 स्थानः वाराणसी ह0 प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda — विक्रय सूचना
क्षेत्रीय दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा : प्रथम तल, श्री बेरीवाला स्मृति भवन,पी.डी.आर मॉल के पास, लक्सा रोड, वाराणसी-221010 (उ0प्र0), ई-मेल:sarvar@bankofbaroda.com, वेबसाइटः www.bankofbaroda.bank.in, मो0- 9554959534
अचल सम्पत्तियों के बिक्री के लिए
अनुर्गत-IV-A (नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के प्रावधान देखें

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम,2002 सपठित प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के प्रावधान के तहत ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतदद्वारा जनसाधारण एवं ऋणी / जमानतकर्ता एवं कानूनी वारिसों को विशेष रूप से यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अचल सम्पत्ति/बंधक/प्रभार युक्त सम्पत्ति को , जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सांकेतिक कब्जे में ले लिया गया है, को बैंक के बकाया वसूली के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा " जो है, जहां है", "जो हैं जैसे हैं" एवं "जो कुछ भी है" के आधार पर ई-नीलामी /बिक्री की जायेगी। ऋणी/जमानतकर्ता /कानूनी वारिस/ प्रतिभूति आस्ति/ देय/आरक्षित मूल्य/ ई-नीलामी की तिथि एवं समय, धरोहर राशि (ईएमडी) एवं बिड बढ़ोत्तरी राशि का विवरण निम्नलिखित हैः-

नीलामी की तिथि : 14.10.2026 समय दोपहर 02:00 से सायँ 06:00 बजे तक

धरोहर राशि (ई.एम.डी.) का भुगतान ऑनलाईन एनईएफटी/ट्रांसफर (चालान निष्पादन के बाद) (https://baanknet.com) के द्वारा दिनांक 13.10.2026 तक या उससे पहले किया जायेगा।

क्र0 सं0	ऋणीकर्ता /पार्टनर/प्रोपराईटर/ जमानतकर्ता का नाम एवं पता/कानूनी उत्तराधिकारी	अचल सम्पत्तियों का विवरण	कुल बकाया राशि	आरक्षित धनराशि / अग्रिम धनराशि / बिड बढ़ोत्तरी धनराशि	कब्जा की स्थिति (सांकेतिक /भौतिक)	सम्पत्ति निरिक्षण तिथि व समय
1.	**ऋणकर्ताः** मेसर्स महिमा इंटाप्राईजेज (साझेदारी फर्म) पताः रमना, बीएचयू, लंका, वाराणसी (उ0प्र0)- 221011 **साझेदार** : 1. श्रीमती उर्मिला दुबे 2. श्री विजय कांत उर्फ श्री विजय कांत दुबे पताः दोनों निवासी गायत्री नगर कालोनी, मलहिया, रमना, बीएचयू, लंका, वाराणसी- 221011 **जमानतदार/ओं**: 1. श्रीमती उर्मिला दुबे पत्नी श्री राजेश कुमार दुबे 2. श्री विजय कांत उर्फ श्री विजय कांत दुबे पुत्र श्री राजेश कुमार दुबे पताः दोनों निवासी गायत्री नगर कालोनी, मलहिया, रमना, बीएचयू, लंका, वाराणसी- 221011	सभी भाग अचल सम्पत्ति चक संख्या- 616, आराजी संख्या 19/73, क्षेत्रफल 0.038 हेक्टेयर व चक संख्या- 526, आराजी संख्या 19/74, क्षेत्रफल 0.025 हेक्टेयर व आराजी संख्या 19/73, क्षेत्रफल 0.063 हेक्टेयर, कुल 3 गाटा व कुल क्षेत्रफल 0.126 हेक्टेयर स्थित मौजा- रमना, परगना- देहात अमानत, तहसील व जिला- वाराणसी जो कि श्रीमती उर्मिला दुबे पत्नी श्री राजेश कुमार दुबे के नाम में है। **चौहद्दी - पूर्व-** चक संख्या 526 का शेष भाग व ज्योति सिंह को जमीन, **पश्चिम-** प्रेमानन्द व बांके प्रसाद की जमीन, **उत्तर** - चक संख्या 526 का शेष भाग, **दक्षिण-** लालमन की जमीन	रू 1,25,08,405.09 + ब्याज दिनांक 31.03.2025 से एवं अन्य खर्च (मांग एवं कब्जा सूचना जारी होने के बाद अगर कोई भुगतान है, को घटाकर	रू 2,82,00,000.00 28,20,000.00 50,000.00	सांकेतिक कब्जा	दिनांकः 13.10.2026 समयः दोपहर 02:00 बजे से सायँ 05:00 बजे तक
2.	**ऋणकर्ताः** मेसर्स राजलक्ष्मी साड़ी **प्रोपराईटरः** श्रीमती लक्ष्मी प्रजापति उर्फ लक्ष्मी देवी वर्मा पत्नी श्री राजेश कुमार वर्मा पताः बी 32/48-1-38, साकेत नगर कालोनी, सुंदरपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221005	साम्पिक बंधक भूमि एवं भवन स्थित आराजी संख्या 24/1 (अब आराजी संख्या 24/1 मि.) क्षेत्रफल 3 बिस्वा यानि 4080 वर्ग फीट स्थित मौजा- गोपालपुर, परगना- राल्हूपुर, तहसील- मुगलसराय (पहले तहसील चंदौली) व जिला- चंदौली (पहले जिला- वाराणसी) जो कि श्रीमती लक्ष्मी देवी वर्मा उर्फ श्रीमती लक्ष्मी प्रजापति पत्नी श्री राजेश कुमार वर्मा के नाम में है। **चौहद्दी - पूर्व-** आराजी का शेष भाग, **पश्चिम-** रास्ता 8 फीट, **उत्तर** - आराजी का शेष भाग, **दक्षिण-** आराजी का शेष भाग	रू 20,77,006.73 + ब्याज दिनांक 03.10.2025 से एवं अन्य खर्च (मांग एवं कब्जा सूचना जारी होने के बाद अगर कोई भुगतान है, को घटाकर	रू 37,50,000.00 3,75,000.00 10,000.00	सांकेतिक कब्जा	दिनांकः 13.10.2026 समयः दोपहर 02:00 बजे से सायँ 05:00 बजे तक
3.	**ऋणकर्ता** : मेसर्स पवन ट्रेडर्स **पंजीकृत पता** : के 53/46 ए-1, विशेश्वरगंज, महामृत्युंजय रोड, वाराणसी (उ0प्र0) - 221001 **प्रोपराईटर** : श्रीमती रेखा देवी **जमानतदार/ओं**: 1. श्री प्रताप कुमार, 2. श्रीमती लीला देवी पताः सभी निवासी सी 19/232, ए-8, लल्लापुरा, सिगरा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221010	साम्पिक बंधक सम्पत्ति जो कि श्रीमती लीला देवी के नाम में है। मकान नम्बर सी 19/232, ए 8, क्षेत्रफल 2507 वर्ग फीट स्थित मौजा - लल्लापुरा, वार्ड- चेतगंज, परगना - देहात अमानत, तहसील व जिला - वाराणसी, **चौहद्दी विक्रय विलेख के अनुसार - पूर्व-** सार्वजनिक रास्ता उसके बाद अहाता श्री प्यारे लाल दीक्षित, श्री देवन और श्री गुलजार अहमद, **पश्चिम-** रामकला देवी की जमीन, **उत्तर** - अहाता श्री गिरजा शंकर, **दक्षिण-** अहाता श्री बजोर साव	रू 57,14,713.74 + ब्याज दिनांक 31.10.2023 से एवं अन्य खर्च (मांग एवं कब्जा सूचना जारी होने के बाद अगर कोई भुगतान है, को घटाकर	रू 84,60,000.00 8,46,000.00 25,000.00	सांकेतिक कब्जा	दिनांकः 13.10.2026 समयः दोपहर 02:00 बजे से सायँ 05:00 बजे तक

बिक्री के नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक पर अवलोकन करें- www.bankofbaroda.bank.in/e-auction.htm & https://baanknet.com तथा इच्छुक बोलीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के मोबाइल नं0 9554959534 ईमेल sarvar@bankofbaroda.com से सम्पर्क करें।

SCAN HERE

दिनांकित : 23.09.2026 स्थानः वाराणसी ह0 प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा